हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज

राजस्व आवेदन संख्या 45/2018 अनवान हीराराम बनाम ईमरती

आदेश

22/03/18

वकुलाय फरीकेन उपस्थित। वकील अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा प्रस्तुत जवाब दिनांक 28.02.2018 को आज पत्रावली पर लिया गया। उभय पक्षों की बहस सुनी गई। वकील प्रार्थी द्वारा आवेदन में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थी के पक्ष में जारी अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा को आवेदन के निर्णय तक कन्फर्म किया जावें।

वकील अप्रार्थी संख्या 01 की और से जवाब में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए निवेदन किया कि जब हीराराम ने तगाराम पुत्र नारणाराम जाति जाट निवासी हुडों की ढाणी तहसील बायतु को खसरा संख्या 676/61 रकबा 02.00 बीघा भूमि का बेचान दिनांक 29.05.2009 को किया गया, तब भूमि अवाप्त नही थी। उसके बाद दिनांक 29.01.2010 को भूमि अवाप्त की गई तथा कोरीडोर का निर्माण भी करवाया गया। तब तगाराम की भूमि स्वतः ही कोरीडोर (सड़क) पर आ गई। अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा तगाराम से ही उसी भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र प्राप्त की है। तगाराम का उक्त भूमि पर निर्माण एवं कब्जा था। प्रार्थी को तगाराम के उक्त कब्जे तक कोई आपति नही थी, परन्तु वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 01 के कब्जे पर जो आपति की है वह अनुचित है। प्रार्थी की भूमि की तरमीम सही है, परन्तु प्रार्थी, अप्रार्थी संख्या 01 को सड़क मार्ग से वंचित रखने हेतु जानबूझ कर सही तरमीम को गलत करवाने पर उतारू है। आवेदन खारिज योग्य है।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली के संलग्न दस्तावेजात का भी अवलोकन किया। वकुलाय फरीकेन द्वारा प्रस्तुत आवेदन एवं जवाब के परिप्रेक्ष्य में अवलोकन किया। प्रकट तथ्यों एवं पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात होता है कि प्रार्थी द्वारा मौजा काऊ का खेडा के खसरा संख्या 395/61 रकबा 15.15 बीघा में से 02.00 बीघा भूमि श्री तगाराम पुत्र नारणाराम को बेचान गई, जिसका नया खसरा संख्या 676/61 अंकित हुआ उक्त

उपखण्ड अधिकारी, बायतु

Scanned by CamScanner

तारीखहुकम	हुकम कार्यवाही मय इनिशियल्स जज राजस्व आवेदन संख्या 45/2018 अनवान हीराराम बनाम ईमरती

रजिस्टर्ड दस्तावेज में पड़ोस का अंकन किया गया है तथा उसी भूमि को अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा क्रय की गई है। प्रथम दृष्टया पटवारी हल्का द्वारा की गई तरमीम रजिस्टर्ड विक्रय पत्र में अंकित पड़ोस के अनुरूप होना नही पाया जाता है। यदि अप्रार्थी संख्या 01 द्वारा विवादित भूमि पर निर्माण का कार्य किया जाता है, तो उसे हटवाने हेतु अनावश्यक लिटिगेशन बढेगा। लिहाजा आवेदन के निर्णय तक उक्त निर्माण को रोकना उचित प्रतीत होता है।

अतः आवेदन स्वीकार किया जाकर प्रकरण में जारी अन्तरित अस्थाई निषेधाज्ञा दिनांक 21.02.2018 को आवेदन के निर्णय तक कन्फर्म किया जाता है। आदेश सरे ईजलास सुनाया गया। पत्रावली सुमार फैसल होकर दाखिल दफ्तर हो।

उपखण्ड अधिकारी, बाड़मेर

Scanned by CamScanner